## सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यवसायों को संपन्न करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से हाउंसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) की 54वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 25 सितंबर, 2024 को 11:30 बजे (आईएसटी) हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में आयोजित की जाएगी।

### सामान्य व्यवसाय

1. **31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल और समेकित) तथा उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने और इन्हें अपनाने के लिए इस संबंध में, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करनाः**

   ''संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (एकल और समेकित) तथा सदस्यों को परिचालित उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्द्वारा स्वीकार कर अपनाया जाता है।''

2. **वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत 26.50ः (2.65 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतिम लाभांश घोषित करना, और 15ः (1.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करते हुए यदि उचित समझा जाए तो साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करनाः**

   ''संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 15ः अर्थात 1.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से पूर्व में प्रदत्त अंतरिम लाभांश और बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत 26.50ः अर्थात 2.65 रुपये प्रति इक्विटी शेयर जिसका सकल 41.50 प्रतिशत है, अर्थात 10 रुपये मूल्य के 4.15 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश के भुगतान के प्रस्ताव को एतद्द्वारा पुष्टि और अनुमोदन प्रदान किया जाता है।''

3. **श्री संजीत (डीआईएनः 09833776) अंशकालिक सरकारी निदेशक जो आवर्तनुसार इस वार्षिक बैठक में सेवानिवृत्त होते हैं, के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर एक निदेशक की नियुक्ति करना इनकी पुनःनियुक्ति की पात्रता पर विचार करना तथा इस संबंध में, यदि इन्हें योग्य पाया जाता है तब निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करनाः :**

   ''संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 और अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री संजीत (डीआईएनः 09833776) जो इस बैठक में आवर्तनुसार सेवानिवृत्त होते हैं, और पुनः नियुक्ति के पात्र होने के कारण उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में यथा अनुमोदित उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक पुनः नियुक्त किया जाता है।

4. **कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना और इस संबंध में, यदि उचित समझा जाए, तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करनाः**

   ''संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

### विशेष व्यवसाय

5. **श्री संजय कुलश्रेष्ठ (डीआईएनः 06428038) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना।**

   **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करनाः

   ''संकल्प लिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015 तथा अन्य लागू प्रावधानों (यथा समय लागू वैधानिक परिवर्तन, संशोधन, अथवा इसके पुनःअधिनियमन सहित) और कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों तथा इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त श्री संजय कुलश्रेष्ठ (डीआईएनः 06428038) को बाद में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संस्तुतियों के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त कर इस वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 (अपराह्न) के रूप में कार्यभार ग्रहण के लिए नामित किया गया है, के संबंध में अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी से संबंधित प्रस्ताव का लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके तहत वे आवर्तनुसार सेवानिवृत्त के योग्य नहीं हैं और इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में यथा अनुमोदित उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

6. **श्री कुलदीप नारायण (डीआईएनः 03276525) को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करना।**

   **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करनाः

   ''संकल्प लिया गया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015 तथा किसी भी अन्य लागू प्रावधानों (यथा समय लागू किसी वैधानिक परिवर्तन, संशोधन, अथवा इनके पुनःअधिनियमन सहित) और कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों तथा इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के अंतर्गत श्री कुलदीप नारायण (डीआईएन : 03276525)

जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंशकालिक अधिकारिक निदेशक के रूप में नामित कर बाद में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संस्तुतियों के आधार पर अतिरिक्त निदेशक (18 अक्टूबर, 2023 से) आगामी आम वार्षिक बैठक की तिथि तक का पदभार ग्रहण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था, के संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निर्देशिका जारी रखने हेतु इनकी उम्मीदवारी के प्रस्ताव से संबंधित लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, और एतद्‌वारा इन्हें निदेशक मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में अनुमोदित समान निबंधन एवं शर्तों पर अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और ये रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।

7. **श्री दलजीत सिंह खतरी (डीआईएनः 06630234) को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना**

**साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करनाः

''संकल्प लिया गया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015 तथा किसी भी अन्य लागू प्रावधानों (यथा समय लागू किसी वैधानिक परिवर्तन, संशोधन, अथवा इनके पुनःअधिनियमन सहित) और कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों तथा इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 12 अगस्त, 2024 के अंतर्गत श्री दलजीत सिंह खत्री (डीआईएन : 06630234) जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संस्तुतियों के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2024 को आयोजित बैठक में दिनांक 14 अगस्त 2024 को पदभार ग्रहण की तिथि से इस एजीएम की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था, के संबध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निदेशिकता हेतु उनकी उम्मीदवारी के प्रस्ताव से संबंधित लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, अतिरिक्त निदेशक (18 अक्टूबर, 2023 से) आगामी आम वार्षिक बैठक की तिथि तक का पदभार ग्रहण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था, के संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत निर्देशिका जारी रखने हेतु इनकी उम्मीदवारी के प्रस्ताव से संबंधित लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, क्योकि यह आवतर्नुसार सेवानिवृत्त होने के योग्य हैं, इसलिए इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की पूर्व में अनुमोदित समान निबंधन एवं शर्तों पर एतद्‌वारा कंपनी का निदेशक (वित्त) नियुक्त किया जाता है।''

8. **कुल उधार सीमा को 1,00,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपये करना।**

एक विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना पारित करनाः

**''संकल्प लिया** गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल को समय–समय पर व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के लिए उस सीमा तक धन उधार लेने के लिए कंपनी की एतदद्वारा सहमति प्रदान की जाती है जिस सीमा तक ऐसा करना उचित हो (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में प्राप्त अस्थायी ऋणों के अतिरिक्त), इसके बावजूद कि इस तरह का उधार चुकता पूंजी और उसके मुक्त भंडार (किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग नहीं रखा गया भंडार) की कुल राशि से अधिक हो सकता है, बशर्ते निगम द्वारा उधार ली जाने वाली राशि और पहले से बकाया राशि का योग 1,50,000 करोड़ रुपये (एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये मात्र) से अधिक न हो।''

9. **निजी प्लेसमेंट आधार पर गैर परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करके अधिकतम 40,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाना।**

निम्नलिखित संकल्पों को विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो इन्हें विशेष संकल्प के रूप में पर संशोधन अथवा संशोधनों के बिना पारित करनाः

**''संकल्प लिया** गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूति आवंटन) नियमावली 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के साथ पठित अधिसूचना (ओं), यदि कोई हो, निजी प्लेसमेंट के आधार पर अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करने पर एनएचबी/आरबीआई निर्देश और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अन्य दिशानिर्देश के अनुसार अधिकतम 40,000 करोड़ रुपये तक फंड जुटाने के लिए कंपनी की सहमति दी जाती है। इस विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान (किसी भी समय बकाया उधारी के अधीन जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक नहीं होगी) कंपनी के अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर को यथा लागू दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों पर और बोर्ड या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाले नियमों व शर्तों पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर घरेलू और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक या एक से अधिक किस्तों/युग्मों में ग्रीन.शू ऑप्शन (उपरोक्तानुसाार 40,000 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर) जारी किया जा सकता है।''

संकल्प लिया गया कि अप्रतिभूतित/प्रतिभूतित अपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के किसी भी निजी प्लेसमेंट को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कंपनी का निदेशक मंडल ('बोर्ड') या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या ऐसा कोई अन्य प्राधिकरण जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, ऐसे सभी कार्यों, कर्तव्यों और चीजों को करने के लिए प्राधिकृत है जो आवश्यक समझे जा सकते हैं, जिसमें इशु की शर्तों को निर्धारित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें निवेशकों का वह वर्ग, जिसे बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, उनसे संबंधित प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले बॉन्ड/डिबेंचर की संख्या, इशु मूल्य, अवधि, ब्याज दर, प्रीमियम/छूट, इशु की राशि, मूल्य जारी करने में छूट, सूचीबद्धता, कोई भी घोषणा/वचनपत्र या बांड जारी करने की भी शर्तें शामिल हैं जिन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लैटर/ऑफर डाक्यूमेंट/ऑफरिंग सर्कुलर और किसी अन्य नियामक अर्हता में समय–समय पर शामिल करना अपेक्षित किया गया हो।

इसके अतिरिक्त संकल्प लिया गया कि कंपनीज (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूति आवंटन) नियमावली 2014 के नियम 14 के प्रावधानों के तहत कि कंपनी के वार्षिक उधार कार्यक्रम के अधीन समय–समय पर यथा अनुमोदित सीमा की राशि तक कोई अन्य प्रतिभूति (दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन) जारी करने के लिए कंपनी, निदेशक मंडल को एतद्द्वारा सहमति प्रदान करती है जो किसी निश्चित समय पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अधीन शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प के माध्यम से यथा अनुमोदित समग्र उधार सीमा से अधिक नहीं होगी।

**10. संस्था ज्ञापन के उद्देश्य खंड में संशोधन (एमओए)**

एक विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन अथवा संशोधन के बिना पारित करनाः

**''संकल्प लिया गया** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा इसके तहत समय–समय पर निर्मित नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन (ओं), बदलाव (ओं) अथवा इनके पुनः अधिनियमन सहित) और यथा अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार निम्नलिखित तरीके से कंपनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति एतद्द्वारा दी जाती हैः

**क. खंड III के विद्यमान उपखंड (1) से (3) और (5) से (8) का मुख्य उद्देश्य संस्था ज्ञापन के खंड को निम्नलिखित उप–खंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः।**

(1) शहरी विकास पर विशेष जोर देते हुए हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों को वित्त/ऋण सुविधा प्रदान करना।

(2) भारत और विदेशों में नए/उपग्रह शहरों की स्थापना सहित हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तपोषण अथवा इसका संचालन या सहयोग करना।

(3) हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों के वित्तपोषण के उद्देश्य से जारी डिबेंचरों और बांडों की सदस्यता लेना।

(5) भारत सरकार और अन्य स्रोतों से समय–समय पर प्राप्त निधियों को अनुदान के रूप में या अन्यथा देश में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों अथवा उपक्रमों को चैनलाइज़ करने या वित्तपोषित करने या उनके विकास में सहायता करने के उद्देश्यों के लिए प्रबंध करना।

(6) भारत और विदेशों में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों से संबंधित परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देना, स्थापित करना, सहायता और सहयोग प्रदान करना।

(7) हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों से संबंधित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और/या बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) का व्यवसाय करना या इकाइयों/शेयरों आदि में निवेश करना और/या सदस्यता लेना एवं इन क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों में नवाचारों को भी सुविधाजनक बनाना।

(8) हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों के प्रयोजन के लिए हडको का अपना म्यूचुअल फंड स्थापित करना और/या म्यूचुअल फंड में निवेश करना, और/या इकाइयों की सदस्यता लेना आदि।

**ख. खंड III के विद्यमान उपखंड (2), (9) और (20) (ख) संस्था ज्ञापन के आकस्मिक अथवा सहायक वस्तुगत खंड को निम्नलिखित उपखंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः**

(2) उधार लेना या धन जुटाना या ब्याज पर या अन्यथा ऐसी विधि से धन या जमा या ऋण प्राप्त करना, जिसमें ऐसी प्राप्तियों का प्रतिभूतिकरण शामिल है जिसे कंपनी ठीक समझे, विशेष रूप से डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक जारी करके स्थायी या अन्यथा और इस कंपनी के या किसी अन्य कंपनी के शेयरों में परिवर्तनीय एवं बंधक, गिरवी, शुल्क या सभी पर या कंपनी की (वर्तमान और भविष्य) दोनों प्रकार की किसी अन्य संपत्ति, संपत्ति या राजस्व, जिसमें उसकी अनावश्यक पूंजी भी शामिल है, पर लिए ऋण, जुटाए गए या प्राप्त किए गए या देय ऐसे किसी भी धन का पुनर्भुगतान सुरक्षित करना और ऋणदाताओं अथवा लेनदारों को बिक्री और अन्य शक्तियां प्रदान करना जो समीचीन लगे और ऐसी किसी प्रतिभूतियों को खरीदना, नकदीकरण अथवा भुगतान करना और इसी तरह के बंधक, शुल्क या ग्रहणाधिकार द्वारा भी कंपनी या किसी अन्य कंपनी या फर्म द्वारा कंपनी की ओर से किसी दायित्व का निष्पादन सुरक्षित करना और गारंटी देना शामिल है।

(9) अपने दम पर या विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना करके या सार्वजनिक–निजी भागीदारी विधि से अथवा विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से किसी अन्य संविदात्मक व्यवस्था या समझौते के माध्यम से उधार देना और/या निवेश करना।

(18) (क) कंपनी के किसी कर्मचारी या किसी उम्मीदवार को भारत में या विदेश में प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के लिए भुगतान करना अथवा कंपनी के उद्देश्यों के हित या उन्नति के लिए विदेशी विशेषज्ञों की भर्ती और नियुक्ति करना।

(ख) कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करना प्रकाशन करना, सलाहकार कार्य करना आदि।

(20) ग्रामीण क्षेत्रों में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण अथवा उनके विकास में सहायता करना।

**निदेशक मंडल के आदेश से**

ह/–
**विकास गोयल**
**कंपनी सचिव**

**स्थान : नई दिल्ली**
**तिथि : 31 अगस्त, 2024**

## टिप्पणियां

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में स्पष्टीकरण वक्तव्य जिसमें मद संख्या 5 से 10 के अंतर्गत व्यवसाय के संबंध में भौतिक तथ्यों का उल्लेख किया गया है, संलग्न किया गया है। वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015 ('सेबी (एलओडीआर) विनियम') के विनियम 36 (3) और सचिवीय मानक–2 के अनुसार प्रासंगिक विवरण भी संलग्न हैं।

2. सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 को अन्य प्रासंगिक परिपत्रों ('सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के अनुसार सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी गई है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमा, एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 54वीं एजीएम की कार्यवाही का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा जो हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र किसी सदस्य को उसकी ओर से मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार होता है और इसके लिए प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। जब से यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए के सचिवों के लिए आयोजित की जा रही है, तब से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति से छूट दी जा रही है। निश्चित रूप से, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम का प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं किया गया है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति या कॉर्पोरेट निकाय जैसे सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। एजीएम में किसी सदस्य की ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के इच्छुक कंपनी के संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने बोर्ड या शासी निकाय के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन प्रमाणित प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) में भेज दें जो इसके प्रतिनिधि को उनकी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए प्राधिकृत करता है। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकार पत्र बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी सचिव जांचकर्ता श्री हेमंत कुमार सिंह को उनके पंजीकृत ईमेल पते hemantsinghcs@gmail.com से भेजा जाएगा।

5. संयुक्त धारकों के मामले में जिन सदस्यों का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल')/ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') (सामूहिक रूप से 'डिपॉजिटरी' के रूप में संदर्भित (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई लाभार्थियों की सूची के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रदर्शित होता, ताक वे ऐसे संयुक्त धारिता के संबंध में मतदान करने के पात्र होंगे।

6. सेबी/एमसीए परिपत्र (ओं) के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वीओ/ओएसीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले ऐसे सभी सदस्यों को 54वीं वार्षिक रिपोर्ट की रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया और विधि, एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए सदस्यों को अनुदेश सहित इनकी प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जा रही हैं जिनके ईमेल पते उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) और/या रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) में संचार उद्देश्यों के लिए पंजीकृत हैं। कंपनी वार्षिक रिपोर्ट की एक भौतिक प्रति केवल उन सदस्यों को भेजेगी जो विशेष रूप से cswhudco@hudco.org पर अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी तथा ग्राहक आईडी का उल्लेख करते हुए इसके लिए अनुरोध करते हैं अथवा डाक के माध्सम से अनुरोध करते हैं। एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर अपलोड की गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी अपलोड किया गया है जिसका अवलोकन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और ई–वोटिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी किया जा सकता है।

7. एजीएम के दौरान जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीमैट खाता/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए दिनांक 18 सितंबर, 2024 तक सांय 5 बजे से पहले ईमेल investors.agm@hudco.org पर अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। शेयरधारकों के प्रश्नों के लिए सदन के खुलने के बाद केवल उन सदस्यों को ही एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है। एजीएम में समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या और प्रश्नों की संख्या को सीमित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।

   इसके अतिरिक्त, बैठक में लेनदेन किए जाने वाले व्यवसाय के किसी भी विषय (ओं) पर जानकारी/स्पष्टीकरण की मांग करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे 18 सितंबर, 2024 तक या उससे पहले investors.agm@hudco.org पर अपने प्रश्न भेज दें, ताकि मांगी गई जानकारी/स्पष्टीकरण एजीएम के समय आसानी से उपलब्ध कराई जा सके।

8. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से की जाएगी।

**लाभांश और लाभांश पर टीडीएस**

9. लाभांश वितरण नीति और डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु 10 रुपये के अंकित मूल्य के 2.65 रुपये (26.50 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की संस्तुति की है। एजीएम में अनुमोदन/घोषणा के उपरांत, लाभांश का भुगतान उन पात्र सदस्यों को स्रोत पर कर की कटौती के अधीन किया जाएगा, जिनके नाम रिकार्ड तिथि शुक्रवार, दिनांक 13 सितंबर, 2024 को कार्यदिवसों के अंत में लाभार्थी/सदस्य के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे।

उपर्युक्त संस्तुति के अनुसार अंतिम लाभांश के अतिरिक्त, बोर्ड ने पहले ही मार्च 2024 में 10 रुपये के अंकित मूल्य के 1.50 रुपये (15.00 प्रतिशत) के अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दे दी है।

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन दिए जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल लाभांश 4.15 रुपये (41.50 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर होगा जिसमें कुल पेआऊट लाभांश 830.78 करोड़ रुपये होगा।

10. 54वीं एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित अंतिम लाभांश का भुगतान निर्धारित समय अवधि के भीतर किया जाएगा। सेबी ने अपने दिनांक 16 मार्च, 2023 के परिपत्र को 07 मई, 2024 के मास्टर सर्कुलर और अन्य प्रासंगिक लागू परिपत्रों के साथ पठित, जिसमें आरटीए द्वारा निवेशक सेवा अनुरोधों को संशोधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड तथा पैन नं., केवाईसी (संपर्क विवरण, बैंक विवरण और हस्ताक्षर) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। उक्त परिपत्र के अनुसार भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के लिए पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिन फोलियो में उक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वे आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद ही शिकायत करने या किसी भी सेवा अनुरोध के लिए पात्र होंगे। ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश सहित कोई भी भुगतान केवल आवश्यक विवरण दर्ज करने पर दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में कंपनी के आरटीए अर्थात अलंकृत असाइनमेंट लिमिटेड को पैन, केवाईसी और अन्य आवश्यक विवरण तुरंत प्रदान करने का पुनः अनुरोध किया जाता है।

11. सदस्य यह भी नोट कर सकते हैं कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') में यह आदेश दिया गया है कि दिनांक 01 अप्रैल 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा प्रदत्त अथवा संवितरित लाभांश सदस्यों द्वारा करयोग्य होंगे। इसलिए कंपनी को लाभांश के भुगतान के समय स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। निवासी और अनिवासी शेयरधारकों के लिए आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती के प्रावधान लागू हैं।

विस्तृत प्रक्रिया के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in Investors/54AGM/TDS Communication का अवलोकन करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शून्य कर/रियायती दर पर छूट का दावा करने के लिए उपरोक्तानुसार आईटी अधिनियम के तहत आवश्यक दस्तावेज कंपनी को केवल dividend.tax @hudco.org पर दिनांक 17 सितंबर, 2024 को या उससे पहले जमा करें, ताकि कंपनी उपयुक्त टीडीएस दर निर्धारित कर सके। 17 सितंबर, 2024 के बाद कर निर्धारण/कटौती पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा अथवा ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट ईमेल पते के अतिरिक्त किसी अन्य ईमेल पर भेजे गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष**

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5) तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियमावली 2016) के अनुसार कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी राशि के अवैतनिक लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात (7) वर्ष की निरंतर अवधि के लिए अवैतनिक या दावा न किए गए अवैतनिक लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (निधि) में अंतरित करे। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) और आईईपीएफ नियमावली 2016 के अनुसार, ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय से दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ खाते में अंतरित किया जाएगा। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि यदि किसी राशि/शेयर को निधि में अंतरित किया जाता है, तो उसे आईईपीएफ नियमावली, 2016 के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण' से दावा किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अदावाकृत अंतिम लाभांश दिनांक 08 नवंबर 2024 को या उससे पहले केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाएगा, जिसका विवरण कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर अपलोड किया गया है। ऐसे सभी शेयरधारकों को अलग से पत्र भेजा गया था, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है तथा इसके बाद कंपनी द्वारा घोषित सभी लाभांश का कंपनी ने भुगतान कर दिया है।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के संदर्भ में श्री संजीत (डीआईएनः 09833776) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक इस एजीएम में आवतर्नुसार सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति हेतु अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के तहत आवश्यक विवरण नोटिस के साथ संलग्न है।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी

द्वारा सामान्य बैठक में निर्धारित किया जाएगा अथवा सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा यथा निर्धारित के अनुसार किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी सीएजी द्वारा नहीं की गई है। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया गया है कि सदस्य वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकते हैं।

15. सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के माध्यम से जहां भी ईसीएस और बैंक विवरण उपलब्ध हैं, वहां निवेशकों को लाभांश और अन्य नकद लाभ आदि वितरित करने के लिए डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते के विवरण का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। सदस्य यह भी नोट कर सकते हैं कि डीपी/आरटीए के रिकॉर्ड में उपलब्ध उनके बैंक खाते के विवरण का उपयोग राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के माध्यम से लाभांश और अन्य नकद लाभों आदि के भुगतान के उद्देश्य से किया जाएगा। सदस्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि डीपी/आरटीए के रिकॉर्ड में सही बैंक विवरण दर्ज हैं, ताकि ईसीएस की ओर से किसी प्रकार की अस्वीकृति न हो। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से परिपत्रों के अनुरूप समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए ईसीएस मोड का विकल्प चुनकर अपने नाम, डाक पता, ईमेल, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, पैन नं., नामांकन का पंजीकरण और पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक अध्यादेश आदि विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तनों की जानकारी अपने डीपी को सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

16. सेबी ने दिनांक 25 जनवरी 2022 के परिपत्र के माध्यम से अदावाकृत सस्पेंस खातों से दावा करने, प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/आदान–प्रदान, समर्थन, प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप–विभाजन/विभाजन, प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन, संचरण और स्थानान्तरण से संबंधित डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सेवा अनुरोधों को संशोधित करते समय सूचीबद्ध कंपनियों को केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में प्रतिभूतियां जारी करना अनिवार्य किया है। तदनुसार, सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखें, जिसके लिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in पर उपलब्ध आईएसआर–4 फार्म को पूर्णरूपेण विधिवत भर कर सेवा संबंधी अनुरोध करें। कृपया ध्यान दें कि किसी भी सेवा अनुरोध को फोलियो के केवाईसी अनुपालन के बाद ही संसाधित किया जा सकता है।

यथा संशोधित सेबी सूचीकरण विनियमन के विनियम 40 के अनुसार, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए सभी अनुरोधों को केवल अमूर्त रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, अमूर्तीकरण के अंतर्निहित लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी के शेयरों को भौतिक रूप में रखने वाले शेयरधारक सदस्यों से इनका डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एक से अधिक फोलियो में नामों के समान क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे एक फोलियो में अपनी शेयरधारिता को समेकित करने के लिए शेयर प्रमाणपत्रों के साथ ऐसे फोलियो का विवरण आरटीए को भेज दें।

17. सदस्यों से निम्नलिखित पर ध्यान देने के लिए अनुरोध किया जाता है :

    क) अनिवासी भारतीय शेयरधारक (ओं) से अनुरोध है कि वे स्थायी निपटान के लिए भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में बदलाव, भारत में खोले गए अपने बैंक खाते के विवरण, पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार और पिन कोड सहित बैंक का पता, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसकी सूचना अपने डीपी/आरटीए को तुरंत दें।

    ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी (केंद्र सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र 2013 में निर्दिष्ट फार्म एसएच–13 में नामांकन कर नामांकन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नामांकन रद्द करने या उसमें बदलाव के लिए फॉर्म एसएच–14 का उपयोग किया जा सकता है। आरटीए को पूर्णरूपेण विधिवत भरा गया फॉर्म एसएच–13/एसएच–14 प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नामांकन फॉर्म (ओं) के प्रारूप कंपनी की वेबसाइटए www.hudco.org.in पर उपलब्ध हैं। डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में रखे गए शेयरों के संबंध में, नामांकन/पते का परिवर्तन संबंधित डीपी के पास दर्ज करना होता है, और

    ग) धोखाधड़ी लेनदेन को रोकने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित परिश्रम करें और किसी भी सदस्य के पते में किसी भी बदलाव या मृत्यु के बारे में कंपनी को शीघ्र सूचित करें। सदस्यों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न रखें। शेयरधारिता का आवधिक विवरण संबंधित डीपी से प्राप्त किया जाना चाहिए और शेयरधारिता को समय–समय पर सत्यापित किया जाना चाहिए।

18. 54वीं एजीएम के दौरान, अधिनियम की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक रजिस्टर तथा उनकी शेयरधारिता, अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गया अनुबंध और व्यवस्था रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज एवं व्याख्यात्मक विवरण वार्षिक सामान्य बैठक के जारी रहने तक उपलब्ध रहेंगे।

19. अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, आरटीए, शेयर से संबंधित सभी गतिविधियों की देखभाल कर रहा है जैसे ट्रांसमिशन/ट्रांसपोजिशन/अमूर्तिकरण/शेयरों का समेकन, पते में परिवर्तन, बैंक जनादेश, नामांकन दाखिल करना, लाभांश भुगतान आदि। सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयर और इससे संबंधित सभी मामलों के लिए भावी पत्राचार आरटीए से निम्नलिखित पते पर करें :

**अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड**
रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए)
अलंकित हाइट, 4ई/2,
झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055
ईमेल आईडी : rta@alankit.com,
संपर्क संख्या। 011–4254–1234/23541234
फैक्स न. 011–2355–2001
वेबसाइट : www.alankit.com

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण**

**मद सं. 5**

श्री संजय कुलश्रेष्ठ (डीआईएनः 06428038) को कंपनी के निदेशक मंडल मे भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं. ए–42012(12)/1/2021–एए (ई–9115243) दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के अंतर्गत इनके पदभार ग्रहण की तिथि से अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। श्री संजय कुलश्रेष्ठ ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 से (अपराह्न) से पदभार ग्रहण किया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संस्तुतियों के आधार पर श्री संजय कुलश्रेष्ठ (डीआईएनः 06428038) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में यथा अनुमोदित निबंधन एवं शर्तों पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त होने के पात्र नहीं हैं) नामित किया है।

कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक अथवा जिस तिथि को वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की जानी थी, तक पद ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17 के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जानी आवश्यक है।

इसलिए हडको के बोर्ड में श्री संजय कुलश्रेष्ठ की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको के रूप में नियुक्ति हेतु सामान्य संकल्प के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित नोटिस मिला है जिसमें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री संजय कुलश्रेष्ठ की उम्मीदवारी का उल्लेख किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने नियुक्ति के लिए आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस में मद संख्या 5 में यथा निर्दिश्ट संस्तुति की है।

श्री संजय कुलश्रेष्ठ के अतिरिक्त, कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनके रिश्तेदार प्रस्तावित संकल्प में किसी भी तरह से वित्तीय या अन्य रूप से संबंधित नहीं हैं अथवा उनकी कोई अभिरुचि है।

**मद सं. 6**

श्री कुलदीप नारायण (डीआईएनः 03276525) को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं. ए–42012(12)/39/2017–एए/पार्ट (1)/ई–9111623 दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक, कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 को आयोजित बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संस्तुतियों के आधार पर श्री कुलदीप नारायण को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में यथा अनुमोदित उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया था।

कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक अथवा वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजित की जानी वाली तिथि तक, जो भी पहले हो, पद ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17 के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जानी आवश्यक है।

इसलिए हडको के बोर्ड में श्री कुलदीप नारायण की हडको के निदेशक मंडल मे अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु सामान्य संकल्प के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित नोटिस मिला है जिसमें कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में श्री कुलदीप नारायण की उम्मीदवारी का उल्लेख किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने नियुक्ति के लिए आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस में मद संख्या 6 में यथा निर्दिष्ट संस्तुति की है।

श्री कुलदीप नारायण के अतिरिक्त, कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनके रिश्तेदार प्रस्तावित संकल्प में किसी भी तरह से वित्तीय या अन्य रूप से संबंधित नहीं हैं अथवा उनकी कोई अभिरुचि है।

**मद सं. 7**

श्री दलजीत सिंह खत्री (डीआईएनः 06630234) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के कार्यालय आदेश सं. ए–32012(12)/1/2023–एए–एमओएचयूए (ई–9160272) दिनांक 12 अगस्त 2024 के अंतर्गत पदभार ग्रहण की तिथि से अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, से कंपनी के बोर्ड में निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने दिनांक 12 अगस्त, 2024 को आयोजित बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संस्तुतियों के आधार पर श्री दलजीत सिंह खत्री को उनके पदभार ग्रहण की तिथि से अतिरिक्त निदेशक के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर नियुक्त किया है जिनके अधीन श्री दलजीत सिंह खत्री ने दिनांक 14 अगस्त, 2024 को निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया था।

कंपनी के अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि

तक अथवा वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन की तिथि तक, जो भी पहले हो, पद ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17 के अनुसार, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जानी आवश्यक है।

इसलिए हडको के बोर्ड में श्री दलजीत सिंह खत्री की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति हेतु सामान्य संकल्प के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित नोटिस मिला है जिसमें कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में श्री दलजीत सिंह खत्री की उम्मीदवारी का उल्लेख किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने नियुक्ति के लिए आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस में मद संख्या 7 में यथा निर्दिष्ट संस्तुति की है।

श्री दलजीत सिंह खत्री के अतिरिक्त, कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कर्मी या उनके रिश्तेदार प्रस्तावित संकल्प में किसी भी तरह से वित्तीय या अन्य रूप से संबंधित नहीं हैं अथवा उनकी कोई अभिरुचि है।

**मद सं. 8**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) में प्रावधान है कि कोई भी कंपनी उधार नहीं ले सकती है यदि उसके द्वारा पहले से लिए गए उधार और लिए जाने वाने उधार की राशि उसकी प्रदत्त शेयर पूंजी और स्वतंत्र आरक्षिति के कुल योग से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में जब तक कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित न हो, तब तक कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋणों को शामिल नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों ने दिनांक 22 मई 2018 को आयोजित डाक मतपत्र प्रक्रिया के अंतर्गत पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अधीन 100,000 करोड़ रुपये तक ऋण देने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। प्रचालन आवश्यकताओं के आधार पर, सदस्यों द्वारा यथा अनुमोदित 1,00,000 करोड़ रुपये तक उधार की वर्तमान सीमा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान उधार की मांग को पूरा करने के लिए संभवतः पर्याप्त न हो। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अधीन सदस्यों द्वारा विशेष संकल्प पारित कर उधार लेने की वर्तमान सीमा को 1,00,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंध कार्मिक/उनके रिश्तेदारों की किसी भी प्रस्तावित प्रस्ताव में किसी भी तरह से वित्तीय अथवा अन्यथा अभिरुचि नहीं है। आपके निदेशक मद संख्या 8 में यथा निर्दिष्ट सदस्यों के अनुमोदन हेतु विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं।

**मद सं. 9**

कंपनी (प्रोस्पेक्ट्स और प्रतिभूति आवंटन) नियमावली 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के साथ अनुसार एक कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निजी प्लेसमेंट तब तक नहीं करेगी, जब तक कि प्रतिभूतियों के प्रस्तावित प्रस्ताव या प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए निमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव या निमंत्रण के लिए विशेष संकल्प के रूप में पहले से अनुमोदित नहीं किया गया हो। तथापि, 'अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड' के लिए प्रस्ताव या निमंत्रण के मामले में ऐसा करना पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचर/बॉन्ड के लिए सभी प्रस्तावों या निमंत्रणों के लिए वर्ष में केवल एक बार विशेष प्रस्ताव पारित करती है।

इस विशेष संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष के दौरान संसाधनों/निधियों की मांग पूरा करने के लिए निदेशक मंडल ने कंपनी के असुरक्षित/सुरक्षित अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर को निजी प्लेसमेंट के आधार पर अधिकतम 40,000 करोड़ रुपये तक ग्रीन शू विकल्प सहित घरेलू और/या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक या एक से अधिक किश्तों/युग्मों में जारी करना प्रस्तावित किया है, जो किसी भी समय कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूति आवंटन) नियमावाली 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (यथा समय लागू वैधानिक संशोधन (ओं) अथवा पुनः अधिनियमन), यदि कोई हो, निजी प्लेसमेंट आधार पर अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करने से संबंधित एनएचबी/आरबीआई के निर्देशों तथा किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य यथासमय संशोधन योग्य दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अधीन शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र सीमा से अधिक नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण को ऐसे यथा आवश्यक समझे जाने योग्य सभी कार्यों, कर्तव्यों और वस्तुगत कार्यों के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है जो इशु की शर्तों को निर्धारित करने तक सीमित ही नहीं है अपितु इसमें निवेशकों का वर्ग, जिन्हें बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या, इशु का मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, इशु की राशि, जारी मूल्य पर छूट, सूचीबद्धता, कोई घोषणा/उपक्रम जारी करना या बांड जारी करने की कोई भी नियम और शर्तें आदि शामिल हैं जिन्हें निजी प्लेसमेंट ऑफर/ऑफर दस्तावेज/ऑफर परिपत्र में शामिल करने की आवश्यकता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंध कार्मिक/उनके रिश्तेदारों की किसी भी प्रस्तावित प्रस्ताव में किसी भी तरह से वित्तीय अथवा अन्यथा अभिरुचि नहीं है। आपके निदेशक मद संख्या 9 में यथा निर्दिष्ट सदस्यों के अनुमोदन हेतु विशेष संकल्प की सिफारिश करते हैं।

**मद संख्या 10**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 की अर्हता के अनुसार कंपनी के उद्देश्यों के खंड को उन प्रयोजनों के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है जिनके लिए कंपनी को निगमित करने का प्रस्ताव है अर्थात मुख्य वस्तुएं, और किसी भी मामले को आगे बढ़ाने में आवश्यक माना जाता है अर्थात

सहायक वस्तुएँ। हडको के संगठन ज्ञापन का उद्देश्य खंड हडको द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों को दर्शाता है। वित्तीय बाजार में उभरते अवसरों को ध्यान में रखते हुएए हडको को क्षेत्र आधारित वित्तपोषण में अवसरों का दोहन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, नए आगामी व्यापार संभावित क्षेत्रों में बढ़ी हुई व्यावसायिक संभावनाओं और भागीदारी सुनिश्चित करने और अन्य प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में हडको के अंतर्नियम ज्ञापन के उद्देश्य खंड में संशोधन करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित संशोधनों को शामिल करने के बाद ज्ञापन का मसौदा सदस्यों के अवलोकन के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 12 अगस्त 2024 को आयोजित 671वीं बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी है और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए मद सं. 10 में यथा निर्दिष्ट प्रस्ताव की संस्तुति की है।

प्रस्तावित संकल्प में कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंध कर्मचारी/उनके रिश्तेदार किसी भी रूप में परस्पर संबंधी नहीं है और न ही इस संकल्प में उनकी कोई अभिरूचि है।

**निदेशक मंडल के आदेश से**

ह/–
**विकास गोयल**
**कंपनी सचिव**

**स्थान : नई दिल्ली**
**तिथि : 31 अगस्त, 2024**

*एनजीवी, इम्फाल, मणिपुर में वैकल्पिक आवास*

## 54वीं वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

| निदेशक का नाम | श्री संजीत, अंशकालिक सरकारी निदेशक | श्री संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | श्री कुलदीप नारायण, अंशकालिक सरकारी निदेशक | श्री दलजीत सिंह खतरी, निदेशक (वित्त) |
|---|---|---|---|---|
| डीआईएन | 09833776 | 06428038 | 03276525 | 06630234 |
| जन्म तिथि | 07.11.1971 | 31.01.1969 | 08.09.1980 | 20.10.1970 |
| आयु | 52 वर्ष | 55 वर्ष | 43 वर्ष | 53 वर्ष |
| नियुक्ति की तिथि | 22.12.2022 | 16.10.2023 (A/N) | 18.10.2023 | 14.08.2024 |
| निदेशकों से परस्पर संबंधों का प्रकटन | कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कर्मी से संबंधित नहीं हैं। | कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कर्मी से संबंधित नहीं हैं। | कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कर्मी से संबंधित नहीं हैं। | कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कर्मी से संबंधित नहीं हैं। |
| लाभार्थी स्वामी के रूप में सूचीबद्ध सस्थाओं में शेयरधारिता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| शैक्षिक योग्यताएं | मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल स्टडीज़ में एम.फिल डिग्री | इलेक्ट्रिकल इंजीनियर | मैकेनिकल इंजीनियरिंग में<br>बी.टेक | एसोसिएट मेम्बर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के अनुप्रमाणित एसोसिएट। |
| नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और भुगतान किए जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक | भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और देय पारिश्रमिक | भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और देय पारिश्रमिक | भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और देय पारिश्रमिक | भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें और देय पारिश्रमिक |
| संक्षिप्त परिचय और विशिष्ट कार्यक्षेत्र तथा अनुभव | श्री संजीत 1998 बैच के भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) के अधिकारी हैं। वर्तमान में, 12 दिसंबर, 2022 से भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं।<br>श्री संजीत मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एम.फिल डिग्रीधारक हैं।<br>श्री संजीत को वित्त और लेखा, प्रशासन, प्रस्तावों के वित्तीय मूल्यांकन, व्यय और बजटीय मुद्दों, निविदा, अनुबंध प्रबंधन, खरीद, नीलामी, वेतन और भत्तों पर नीतिगत मुद्दों तथा लेखापरीक्षा कार्यों के क्षेत्र में लगभग 26 वर्षों का समृद्ध, विविध और बहु–आयामी अनुभव है। इन्होंने पूर्व में भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। जेएस एंड एफए का कार्य पदग्रहण करने से पहले ये रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक थे। इन्होंने जेएस एंड एफए के रूप में भी काम किया है। इन्हें रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में तैनात किया गया था। इन्होंने कॉन्कोर में जीएम एफ एंड ए रेलवे पीएसयू, उत्तर रेलवे में वित्तीय सलाहकार और लखनऊ में वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक के रूप में भी काम किया है।<br>श्री संजीत ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लिया है। हाल ही में ये जापान और सिंगापुर (बहुआयामी विकास बैंकों से) धन जुटाने के लिए हडको के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। इन्होंने आईएसईएडी, सिंगापुर तथा आईसीएलआईएफ, मलेशिया के उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया है। ये यूरोपीय स्कूल ऑफ बिजनेस, लंदन और पेरिस में वित्त एवं लेखा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा थे। श्री संजीत ने कंटेनर टर्मिनल प्रबंधन में भी भाग लिया है। | श्री संजय कुलश्रेष्ठ को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एएलएम, थर्मल पावर प्लांट मैनेजमेंट, पावर सेक्टर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आदि में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अपने शानदार करियर की शुरुआत करते हुए श्री कुलश्रेष्ठ की व्यावसायिक यात्रा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से हुई है। हडको में आने से पहले इन्होंने अपने करियर के 17 वर्ष भारत सरकार के तहत एक महारत्ना एनबीएफसी आरईसी को समर्पित किए हैं जहां इन्होंने विशिष्ट व्यावसायिक संचालन का नेतृत्व किया और सीएसआर तथा परामर्श सहायक शाखा के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। | श्री कुलदीप नारायण, बिहार संवर्ग के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और आईआईटी, कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। श्री कुलदीप नारायण 14 अक्टूबर, 2021 से भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (जेएस एंड एमडी)– सभी के लिए आवास मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के रूप में कार्यरत हैं। दिनांक 02 नवंबर, 2021 से हडको में अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं और दिनांक 27 मार्च, 2023 से दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के दौरान हडको के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। इसके बाद, दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 से एमओएचयूए ने श्री नारायण को हडको के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है।<br>भारत सरकार में, श्री कुलदीप नारायण ने सभी के लिए आवास के संयुक्त सचिव और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालने से पहले माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री और पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। इससे पहले, ये बिहार में गोपालगंज, छपरा, मुंगेर और मधुबनी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट थे। श्री कुलदीप नारायण ने 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने से पहले बिहार राज्य पुल निगम के अध्यक्ष, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल बोर्ड के प्रबंध निदेशक, पटना नगर निगम आयुक्त और बिहार में पंचायती राज विभाग के निदेशक का प्रभार भी संभाला था।<br>सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के इनके प्रयासों और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में उच्चतम व्यावसायिक अखंडता बनाए रखने में अनुकरण ीय समर्पण के लिए इन्हें 2015 में आईआईटी कानपुर द्वारा सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। | श्री दलजीत सिंह खतरी को आरईसी, सिडबी और एनएचबी जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हडको में आने से पहले ये आरईसी में कार्यकारी निदेशक (वित्त) थे और आरईसी में विभिन्न प्रणालीगत सुधारों कार्यान्वयन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कोष जुटाने, कोषागार प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, परिसंपत्तियां और देयता प्रबंधन, जोखिम कार्य, वित्तीय सहमति और वित्तीय नीतियों के निर्माण, अनुबंध और खरीद प्रबंधन आदि जैसे मुख्य वित्त कार्यों में विविध अनुभव है। |

| निदेशक का नाम | श्री संजीत, अंशकालिक सरकारी निदेशक | श्री संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | श्री कुलदीप नारायण, अंशकालिक सरकारी निदेशक | श्री दलजीत सिंह खतरी, निदेशक (वित्त) |
|---|---|---|---|---|
| | श्री संजीत ने यातायात लेखा कार्यालय में नए कंप्यूटर केंद्र की स्थापना और प्राइम के कार्यान्वयन, स्क्रैप निपटान, ट्रेफिक सस्पेंस को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके लिए इन्हें समय–समय पर विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने सिंगापुर में आठवें वार्षिक भारत असीमित निवेशक सम्मेलन में भी सहभागिता की है। | | | |
| वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या | 12/13 | 8/8 | 11/13 | NA** |
| सूचीबद्ध संस्थाएं जिनमें निदेशक हैं। | एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड | शून्य | शून्य | शून्य |
| सूचीबद्ध संस्थाएं जिनके बोर्ड की समितियों में सदस्य हैं। | लेखापरीक्षा समिति : एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड<br>हितधारक संबंध समिति : शून्य | लेखापरीक्षा समिति : शून्य<br>हितधारक संबंध समिति : शून्य | लेखापरीक्षा समिति : शून्य<br>हितधारक संबंध समिति : शून्य | लेखापरीक्षा समिति : शून्य<br>हितधारक संबंध समिति : शून्य |
| सूचीबद्ध संस्थाओं के विवरण जिनसे विगत तीन वर्षों में त्याग पत्र दिया है। | - | आरईसी लिमिटेड | - | आरईसी लिमिटेड |

**सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटन अर्हता) विनियम, 2015 के अनुरूप, लेखापरीक्षा समिति तथा हितधारक संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया गया है।*

***श्री दलजीत सिंह खत्री को दिनांक 14.08.2024 से निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया।*

## वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अर्हता) विनियम 2015 (यथा संशोधित) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 को जारी परिपत्रों के अनुसार कंपनी, इसके सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को 11:30 (भारतीय समय) को आयोजित की जाने वाली 54 वीं एजीएम में प्रस्तावित संकल्प (ओं) पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रयोजन हेतु कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से समझौता किया है। रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली के साथ–साथ एजीएम की तिथि को मतदान स्थल पर सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

**क. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:**

i. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली की सुविधा का उपयोग करने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। लॉगिन करने के उपरांत, सदस्य कंपनी के नाम के सामने 'ज्वाइन मीटिंग' पर क्लिक करते हुए 'वीसी/ओएवीएम' का लिंक देख सकते हैं। इसके बाद सदस्यों को ज्वाइन मीटिंग मेन्यू के तहत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करना होगा जो शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ईवीईएन दिखाई देने लगेगा।

ii. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा एमसीए परिपत्रों के अनुसार 1000 सदस्यों को 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (अर्थात 2 प्रतिशत या इससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक) शामिल नहीं होंगे तथापि, प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक, आदि 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

iii. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों से हाई–स्पीड वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा संपन्न उपकरणों के उपयोग द्वारा एजीएम में शामिल होने का अनुरोध किया जाता है। ऐसा करने से वाईफाई ड्रॉपआउट और स्पीड की समस्या नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए कैमरा तथा अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करने की जरूरत होगी, इसलिए कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, किसी भी प्रकार की उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने का सलाह दी जाती है।

**ख. एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के लिए शेयरधारकों के लिए अनुदेश**

i. रिमोट ई–वोटिंग अवधि रविवार, 22 सितंबर 2024 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय समय) से शुरू होकर मंगलवार, 24 सितंबर 2024 को सांय 5:00 बजे (भारतीय समय) समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक बुधवार, 18 सितंबर 2024 ('कट–ऑफ तिथि') तक या तो भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii. सदस्यों के मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि, अर्थात 18 सितंबर, 2024 को कंपनी की इक्विटी पूंजी में उनके शेयरों के भुगतान मूल्य के अनुपात में होंगे और यदि कोई व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसके लिए एजीएम का यह नोटिस सूचना मात्र होगा।

iii. एजीएम के दौरान ईवोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित भी नहीं है, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है/मतदान किया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः अपना वोट डालने की अनुमति/अधिकार नहीं होगा।

**व्यक्तिगत शेयरहोल्डर्स के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठकों में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि**

**चरण 1 : एनएसडीएल ई–मतदान प्रणाली की सुविधा**

**क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर 11 जुलाई, 2023 के सेबी मास्टर परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ खोले गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने की सलाह दी जाती है।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

| शेयरधारक की किस्म | लॉगिन विधि |
|---|---|
| एनएसडीएल में डीमैट विकल्प में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | 1. मौजूदा आईडीईएएस (इंटरनेट.आधारित डीमैट खाता विवरण) यूज़र अपने पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsdl.com का अवलोकन कर सकते हैं। ई–सेवा के मुख पृष्ठ पर 'आईडीईएएस' खंड के अंतर्गत 'लॉगिन' के तहत 'लाभकारी मालिक' आइकन पर क्लिक करें जहां आपको अपनी मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई–मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई–वोटिंग' पर क्लिक करते हुए आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें। आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और मतदान में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।<br>2. यदि आप आयडियाज ई–सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो https:// eservices.nsdl.com पर पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। अब 'आयडियाज पोर्टल पर पंजीकरण करें' चुनें अथवा https:// eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।<br>3. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर https:// www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद –लॉगिन' आयकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है। इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूज़र आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपके डीमैट खाते की 16 अंकों की संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई–वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें जहां आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और मतदान में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। |

| | |
|---|---|
| | 4. शेयरधारक/सदस्यगण निर्बाध मतदान का सुखद अनुभव लेने के लिए नीचे दिए क्यू आर कोड को स्कैन करने के बाद एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीडी" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।<br>NSDL Mobile App is available on<br>App Store Google Play |
| **सीडीएसएल में डीमैट विकल्प में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक** | 1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईज़ी/ईज़ीस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे CDSI वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और New System Myeasi पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माई ईजी यूज़रनाम और पासवर्ड का उपयोग करें।<br>2. फल लॉगिन के बाद ईजी/ईजिऐस्ट उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई–वोटिंग की जा रही है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और मतदान में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली की पहुंच प्राप्त करने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सके।<br>3. यदि यूज़र ईजी/इजिऐस्ट पर पंजीकृत नहीं है, तब CDSI वेबसाइट website www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है जहां लॉगिन और न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करने के बाद लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा ।<br>4. वैकल्पिक रूप से उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के मुखपृष्ठ पर उपलब्ध ई–वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नं. प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करता है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई–वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां ई–वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली की सीधी पहुंच भी प्राप्त कर सकेगा। |
| **शेयरधारक (डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डीमैट मोड लॉगिन प्रतिभूति)** | आप लॉगिन करने पर ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं, जिसके उपरांत आप ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा जिसमें आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एनएसडीएल और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और मतदान में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुर्ननिर्देशित किया जाएगा। |

**महत्वपूर्ण टिप्पणी** : जिन सदस्य यूज़र आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है, उन्हे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूज़र आईडी भूल गए/पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करने का परामर्श दिया जाता है।

**डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडील/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत भोयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क**

| लॉगिन टाइप | हेल्पडेस्क विवरण |
|---|---|
| लॉगिन टाइप | हेल्पडेस्क विवरण |
| एनडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में जिन सदस्यों को कठिनाई आ रही है, वे www.evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं अथवा 022–4886–7000 पर कॉल कर सकते हैं। |
| सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में जिन सदस्यों को तकनीकी कठिनाई आ रही है, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपना अनुरोध भेजकर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करते हैं अथवा टोल फ्री नं.1800 22 53 33 पर कॉल कर सकते हैं। |

**ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अतिरिक्त, अन्य शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधिः**

**एनएसडीएल की ई–वोअिंग वेबसाइट लॉगिन कैसे करें?**

1. पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके https://www.evoting.nsdl.com/ either वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' खंड पर उपलब्ध है।
3. अब एक नई स्क्रीन खुलेगी। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए के अनुसार अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड/ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सेवा अर्थात आयडियाज के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आयडियाज लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। अपने लॉगिन विवरणों का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई–सेवा में लॉगिन करते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें, के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
4. आपकी यूज़र आईडी का विवरण नीचे दिया गया हैः

| शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक | आपकी यूज़र आईडी है : |
|---|---|
| क) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर हैं। | 8 अंकों की डीपी आईडी सहित 8 अंकों की ग्राहक आईडी<br>उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है, तब आपकी यूज़र आईडी आईएन300***12****** होगी। |
| ख) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर हैं। | 16 अंकों की लाभार्थी आईडी<br>उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तब आपकी यूज़र आईडी 12************** होगी। |
| ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं। | ईवन नंबर के बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर<br>उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और ईवन नंबर 101456 है, तब यूज़र आईडी 101456001*** होगी। |

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:
   - क) यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
   - ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जो आपको पहले सूचित किया गया था। जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए विवश करेगा।
   - ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
   - (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल चैक करें और पीडीएफ फाइल का अटैचमेंट डाउनलोड करें। अब फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड एनएसडीएल खाते की आपकी 8 अंकों की ग्राहक आईडी और सीडीएसएल खाते के लिए अंतिम 8 अंकों की ग्राहक आईडी तथा भौतिक रूप में रखे गए फोलियों संख्या होती है। पीडीएफ फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।
   - (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया 'उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं' में नीचे बताए गए चरणों का पालन करें।
6. यदि आप अपना प्रारंभिक पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं अथवा भूल गए हैं:
   - क) इसके लिए www.evoting.nsdl.com विकल्प पर उपलब्ध यदि आप 'यूज़र विवरण/पासवर्ड भूल गए' पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल में अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं)।
   - ख) www.evoting. nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड' पर क्लिक करें (यदि आप भौतिक मोड में शेयर रखते हैं)।
   - ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, पैन, नाम और पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए www.evoting @nsdl पर अनुरोध भेज सकते हैं।
   - घ) सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर ''नियम और शर्तों से सहमत' पर निशान लगाएं।
8. अब आपको 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करना होगा।
9. 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग के लिए होम पेज खुल जाएगा।

**चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर सामान्य बैठक में शामिल हों।**

**इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कैसे करें और एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के अंतर्गत सामान्य बैठक में कैसे शामिल हों?**

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद आप उन सभी कंपनियों 'ईवीईएन' को देख पाएंगे जिनमें आपके पास शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान सामान्य बैठक में आप जिस कंपनी को आप अपना वोट डालने चाहते हैं उस कंपनी का 'ईवीईएन' चुनें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको 'ज्वाइन मीटिंग' लिंक के तहत दिए गए 'वीसी/ओएवीएम' लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि यहां वोटिंग पेज खुल जाता है।
3. उपयुक्त विकल्पों अर्थात सहमति या असहमति, का चयन कर उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत मिलने पर 'सबमिट'' पर क्लिक करें तथा इसके बाद तुरंत ''पुष्टि'' पर क्लिक करें।
4. पुष्टि होने पर 'वोट सफल' संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
5. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए मतों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
6. जब आप प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**शेयरधारकों के लिए सामान्य अनुदेश**

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) से संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) में साथ मतदान करने के पात्र विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित जांचकर्ता को ईमेल hemantsinghcs@gmail.com पर भेजना आवश्यक है जिसकी एक प्रति www.evoting@nsdl.com पर अपलोड करनी होगी। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) अपनी लॉगिन में ''ई–वोटिंग'' टेब पर प्रदर्शित ''अपलारेड बोर्ड रिजोलूशन/अथॉरिटी लेटर'' पर क्लिक करते हए अपने बोर्ड संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
2. अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसे में पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''फोरगेट यूज़र डिटेल्स पासवर्ड?'' अथवा ::फिजिकल यूज़र रीसेट पासवर्ड'' विकल्प पर क्लिक करना होगा। से गुजरना होगा।
3. यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड खंड के अंतर्गत शेयरधारकों के लिए बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई–वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ कर सकते हैं अथवा फोन नं. 022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा www.evoting@nsdl.com पर वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं।

**उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी में पंजीकृत नहीं हैं, और इस सूचना में निर्धारित संकल्पों के लिए ई–वोटिंग के लिए ई.मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया :**

1. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे जाते हैं तो कृपया आरटीए अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को ईमेल द्वारा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे–पीछे) से, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे जाते हैं, तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी) नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) की ईमेल investors.agm @hudco.org पर अपलोड करें। यदि आप व्यक्तिगत शेयरधारक हैं और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण 1 (क) अर्थात डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि का उपयोग करें।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्य उपरोक्त दस्तावेज प्रदान करने के उपरांत ई–वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए www.evoting @nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर 11 जुलाई 2023 के सेबी मास्टर परिपत्र के संदर्भ में डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ खोले गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना होगा।

**एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैंः**

1. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की प्रक्रिया दूरस्थ ई–वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। यद्यपि, वे एजीएम में मतदान नही कर सकेंगे।
4. एजीएम के दिन ई–वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई–वोटिंग के लिए किया गया है।

**ग. बैठक के दौरान वीसी/ओएसीएम और ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश**

i. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने और ई–वोटिंग की प्रक्रिया वही है जो दूरस्थ ई–वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित है।

ii. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और नियत तिथि अर्थात 18 सितंबर, 2024 को शेयरधारक है, ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है, और

iii. श्री हेमंत सिंह, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस : 6033) के न होने पर श्री सुमित कुमार (सदस्यता सं.:ए68249), पार्टनर मैसर्स हेमंत सिंह एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव को व्यावहारिक रूप से एजीएम के दौरान दूरस्थ ई–मतदान प्रक्रिया और ई–मतदान की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

**घ. परिणाम की घोषणा**

i. जांचकर्ता एजीएम के समापन की निर्धारित अवधि के भीतर लागू कानूनों के तहत अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए कुल मतों की एक समेकित जांचकर्ता रिपोर्ट प्रदान करेगा, जिसे वह प्रतिहस्ताक्षर कर मतदान के परिणाम को तुरंत घोषित करेगा।

ii. जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम अधक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में परिणामों की घोषणा के उपरांत इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in और NSDL की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परिणाम बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

iii. 54वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध प्रस्तावों को एजीएम की तिथि को पारित माना जाएगा, बशर्ते संबंधित प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हों।

*जुव्वालेडिन्नी, आंध्रप्रदेश में मछली पकड़ने का बंदरगाह*